रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17, 2005/अग्रहायण 26, 1927

No. 514] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17, 2005/AGRAHAYANA 26, 1927

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 724(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 6 की उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्य सेवा शर्त) नियम, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक आयोग (अध्यक्षक और सदस्य सेवा शर्त) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये 20 दिसम्बर, 2005 से प्रवृत्त होंगे।

2. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक आयोग (अध्यक्ष और सदस्य सेवा शर्त) नियम, 1970 में, नियम 4 के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह और कि 20 दिसम्बर, 2005 से ही, इस नियम के उपबंधों का इस प्रकार प्रभाव होगा कि मानों "22400-525-24500 रुपए के वेतनमान" शब्दों और अंकों के स्थान पर "24050-650-26000 रुपए के वेतनमान" शब्द और अंक रखे गए हों'।

[सं. ए-12023/12/2004-एण्ड. I/IV]

वाई. एस. मलिक, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिनियम सं. सा.का.नि. 122 तारीख 1 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 371(अ) तारीख 23-8-1974, सा.का.नि. 448(अ) तारीख 12-7-1976, सा.का.नि. 767(अ) तारीख 9-6-1979, सा.का.नि. 508(अ) तारीख 7-9-1981 सा.का.नि. 1(अ) तारीख 1-1-1988 और सा.का.नि. 141 तारीख 29-4-1999 द्वारा किए गए।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्य सेवा शर्त) नियम, 1970 के नियम 4 का संशोधन।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्य सेवा शर्ते) नियम, 1970 अन्य बातों के साथ, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एएव आयोग) के अध्यक्ष और सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ते आदि विहित करता है। आयोग में नियुक्त उन सदस्यों के वेतन और भत्ते, जो उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं, संरक्षित हैं। यह संरक्षण अन्य क्षेत्रों से आने वाले सदस्यों के मामले में उपलब्ध नहीं है, जो विभेदकारी है और उन सदस्यों के, जिन्होंने सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व विद्यमान वेतनमान से उच्चतर किसी वेतनमान में कार्य किया था, वेतनमान के संरक्षण के संबंध में विसंगति उत्पन्न करता है। यह वांछनीय है कि सभी सदस्यों के वेतनमान उसी विनियामक निकाय में एक समान हों जिससे कि उनके बीच कोई विभेद न हो। एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में इस स्थिति का समाधान तब किया जा सकता है जब सदस्यों का वेतनमान 22400-24500 रुपए से पुनरीक्षित करके 24050-650-26000 रुपए का

किया जाता है, जो किसी ऐसे सदस्य के वेतन संरक्षण की अनुज्ञात करेगा जिसने 24500 रुपए (अर्थात् विद्यमान वेतनमान का अधिकतम) से परे पहुंचे हुए वेतनमान में सेवा की थी, जिससे उन्हें, उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा अंतिम बार आहरित वेतन का संरक्षण प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। इसके साथ ही, इससे अध्यक्ष के वेतनमान और उनके सदस्यों के वेतनमान में अंतर भी बना रहेगा।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से उस तारीख तक जो जनवरी, 1986 से पहले की न हो आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करती है। अतः, सदस्यों के वेतनमान और भत्तों को पुनरीक्षित करने के लिए नियम 4 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाता है। इस संशोधन के जारी किए जाने और इसे तत्काल प्रभाव दिए जाने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2005

G.S.R. 724(E).—In exercise of the powers conferred by Section 67 read with Sub-section (5) of Section 6 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 2005.

   (2) They shall come into force with effect from the 20th December, 2005.

2. In the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970, in rule 4, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

   'Provided further that on and from the 20th December, 2005, the provisions of this rule shall have effect as if for the words and figures "the scale of pay rupees 22400-525-24500", the words and figures "the scale of pay of rupees 24050-650-26000" had been substituted'.

[No. A-12023/12/2004-Ad. I/IV]

Y. S. MALIK, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 1122 dated the 1st August, 1970 and the subsequent amendments were published *vide* notification number G.S.R. 371(E), dated 23-8-1974, G.S.R. 448(E), dated 12-7-1976, G.S.R. 767 dated 9-6-1979, G.S.R. 508(E) dated 7-9-1981, G.S.R. 1(E) dated 1-1-1988 and G.S.R. 141 dated 29-4-1999.

Explanatory Memorandum

Amendment in rule 4 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970.

The Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970 prescribe, *inter-alia*, remuneration, allowance, etc. of the Chairman and Members of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (MRTP Commission). The pay and allowances of those Members appointed in the Commission who could be the sitting or retired Judges of the Supreme Court/High Court is protected. This protection is not available in the case of Members coming from other streams which is discriminatory and creates an anomaly with regard to the protection of pay scales of Members who had worked in a pay scale higher than the existing scale prior to their appointment as Members. It is desirable that pay scales of all the Members should be identical in the same regulatory body so that there is no discrimination amongst them. This situation in the MRTP Commission can be addressed if the scale of pay of Members is revised from Rs. 22400—24500 to Rs. 24050-650-26000 which would allow the protection of pay of a Member who had served in a pay scale going beyond Rs. 24500 (i.e. the maximum of the existing scale) so as to enable them to get the benefit of protection of pay last drawn by them at the time of their retirement. Simultaneously, it would also maintain a differential in the pay scale of the Chairman and those of the Members.

Section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 empowers the Central Government to make rules in relation to the conditions of service of the Members of the Commission retrospectively to a date not earlier than 1st January, 1986. Rule 4 is, therefore, suitably amended to revise the scale of pay and allowances of the Members with immediate effect. No person is likely to be adversely affected by the issue of the amendment and giving it with immediate effect.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.